कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

# प्रेस विज्ञप्ति

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 'सुविधा समागम' का आयोजन

**पटना, 13/03/2024**

क्षेत्रीय निदेशक संजय कुमार की अध्यक्षता में आज दिनांक 13/03/2024 को 3:00 बजे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में सुविधा समागम का आयोजन किया गया.

इस बैठक में बिहार क्षेत्र के बीमाकृत व्यक्तियों को प्रदान किये जा रहे चिकित्सा हितलाभ से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. इस अवसर पर बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों से विभिन्न समस्याओं, विशेषकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बंधित मामलों के विषय में जानकारी ली गयी एवं मौके पर ही इसके निराकरण हेतु समुचित निर्णय किए गए. साथ ही, उपस्थित बीमाकृत व्यक्तियों को यह आश्वासन भी दिया गया कि उनकी सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से हरसम्भव प्रयास किये जा रहे हैं. अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बीमाकृत व्यक्तियों को त्वरित सुविधा देने के उद्देश्य से सम्प्रति आधार सीडिंग के कार्य किए जा रहे हैं.

इस अवसर पर डॉ. बी. एन. प्रसाद, निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार सरकार, डॉ. संध्या हरिदास गुजर, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल सह चिकित्सा महाविद्यालय, बिहटा, डॉ. राजेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, डॉ. विजय कुमार केसरी, राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डॉ. तनुजा कुमारी, चिकित्सा निर्देशी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डॉ. मुकेश कुमार मोदी, चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल सह चिकित्सा महाविद्यालय, बिहटा मौजूद थे.

इसी क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के **क्षेत्रीय निदेशक** द्वारा पंचदीप भवन, पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक सादे समारोह में **मेसर्स टेनन फैसिलिटी, पटना** में कार्यरत **स्व. संजय कुमार** की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पत्नी श्रीमती संगीता देवी, पुत्री प्रतिमा कुमारी तथा प्रतिभा कुमारी एवं पुत्र सत्यम कुमार को आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी.

**स्व. संजय कुमार** की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी. वे परिवार में अकेले कमानेवाले थे. नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रित के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हुई थी.

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या कार्यस्थल जाने या वहां से घर जाने के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या दुर्घटना में ई०एस०आई० सी० में बीमित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना में वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है.

**क्षेत्रीय निदेशक**